



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना नरैनी पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चालक व सवार युवक को अवैध तमंचों सहित किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे व 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चालक व सवार युवक को अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 25/26.08.2025 की रात्रि को थाना नरैनी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेंकिंग के दौरान रंगौली मोड़ पर एक संदिग्ध ई-रिक्शा को रोककर चेक किया गया । तलाशी के दौरान ई-रिक्शा चालक व सवार युवक के कब्जे से कुल 02 अदद अवैध तमंचे व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए । इस संबंध में थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा
- 02 जिन्दा कारतूस
- एक ई-रिक्शा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शमीम पुत्र रमजान वेग निवासी ग्राम लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा ।
2. जीतू रैकवार पुत्र बाबू रैकवार निवासी ग्राम किशानी पुरवा थाना नरैनी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 295/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0- 296/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अनिल कुमार राय
2. कां0 नरेन्द्र सिंह
3. कां0 भूपेन्द्र सिंह
4. कां0 किदारी लाल